



**THE BIGGEST CAPITAL
ONE CAN POSSESS**

KNOWLEDGE

 **FINANCIAL EXPRESS**
Read to Lead

श्री श्री अमर प्रकाश गोयनका के स्वामिन्सुवर्ण वाली संपत्ति संख्या 188, गोयनका संख्या 188, मुक्त स्वामिन्सुवर्ण वाली संपत्ति, वार्ड संख्या III, गली सरस्वती, तिलक बाजार, दिल्ली 110006 वाली संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश। स्वामिन्सुवर्ण का विवरण: किंमय निवेद्य, दस्तावेज संख्या 479, अतिरिक्त पुरतक संख्या 1, खंड संख्या 7093, पृष्ठ संख्या 121-130, दिनांक 12-01-1996, उप-पंजीयक कार्यालय संख्या 1, कश्मीरी गेट में। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: अन्य संपत्ति, पश्चिम: संपत्ति संख्या 187, पूर्व संपत्ति संख्या 188 और गोयनका, दक्षिण: गली और श्रीमती अंबका गोयनका और श्रीमती संख्या देवी गोयनका के स्वामिन्सुवर्ण वाली संपत्ति संख्या 189-190।

गोयनका संख्या क्रमांक 189-190 वाली स्वतंत्र संपत्ति, वार्ड संख्या III, गली सरस्वती, तिलक बाजार, दिल्ली 110006 वाली संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश। स्वामिन्सुवर्ण का विवरण: किंमय निवेद्य, दस्तावेज संख्या 7119, अतिरिक्त पुरतक संख्या 1, खंड संख्या 5201, पृष्ठ संख्या 34-43, दिनांक 28-12-1989, उप-पंजीयक कार्यालय संख्या 1, कश्मीरी गेट में।

संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: अन्य संपत्ति, पश्चिम: संपत्ति संख्या 188, पूर्व संपत्ति संख्या 191 और गोयनका, दक्षिण: गली।

कार्यालय वसूली अधिकारी-I ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली, चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001					
आर.सी. संख्या 18/2024					
बिक्री उद्घोषणा सूचना					
भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स मयंक रस्तोगी					
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के निम्न 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा (सीडी#2) मैसर्स एम.जी. हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, 12वीं मंजिल, हिमालया हाउस, 23, के.जे. मार्ग, नई दिल्ली-110001 जबकि पीटासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा आहरित वसूली प्रमाणपत्र संख्या 18/2024 दिनांक 09.02.2024 के अनुसार, जिसमें क्र. 39.21.104/- (रुपये उन्तालाती लाख इक्कीस हजार एक सौ चार मात्र) की राशि का उल्लेख है, सीडी के संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग 17.12.2022 से 11% प्रति वर्ष साधारण दर से भावी व्याज की लागत वसूलने का हकदार है। तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संशुद्धि के लिए नवीं अनुसूची में वर्णित संपत्ति की विवृति का आदेश दिया है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के अभाव में, उक्त बंधक वाहन (नीचे संपत्ति की अनुसूची में उल्लिखित) https://www.bankauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा 21.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12 बजे अप. के बीच बेचा जाएगा। यह बिजरी नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सीडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। संपत्ति की अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिजरी के लिए रख दिया जाएगा। यदि बिजरी से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिजरी से संतुष्ट हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिजरी को तुरंत रोक दिया जाएगा। यदि नीलामी रह होने से पहले उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, व्याज लागत (बिजरी की लागत सहित) बिजरी करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए स्वीकृत दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र, व्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो बिजरी बंद कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिजरी के सिनसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिजरी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। 7.2. आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है, जिससे कम में संपत्ति नहीं बेची जाएगी:					
क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमपी)		
1.	अपार्टमेंट नं. ए-1607, 16वीं मंजिल, मलवरी कार्टेटी, सेक्टर-70, फरीदाबाद, हरियाणा	₹. 49,00,000/-	₹. 4,90,000/-		
7.3 फिर ड्यूक बोलीदाताओं ने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति या कम्पनी के प्रतिनिधित्व/एजेंसी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज आदि सहित आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलीयां अधिकतम 19.05.2026 को 4.00 बजे अप. तक कार्यालय वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली में जमा कर दी है वे 21.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिन्नट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचारिता रूप से 5 मिन्नट के लिए बढ़ जाएगा।					
7.4 बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के संबंध में अपने प्रमाणपत्र, 1,00,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ावेंगे।					
7.5 असफल बोलीदाता ईएमपी राशि ई-नीलामी बिजरी कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद कार्यालय वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली से सीधे प्राप्त कर सकेंगे।					
7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत ईएमपी समायोजित करने के बाद अगले कार्यदिवस पर 04.00 बजे अप. तक वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 18/2024 के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% तथा उसके समक्ष अधिक की राशि संपत्ति पर 1% की दर से पाउंडेशन शुल्क के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी पे ऑर्डर द्वारा शेष 75% बिजरी राशि का भुगतान करना होगा। (यदि शेष 75% राशि ठाक द्वारा जमा की जाती है तो यह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)					
7.8. निर्धारित अवधि में भुगतान में चुक करने पर बिजरी की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिजरी की जाएगी। बिजरी के खर्चों को डेफ्ट करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जबर कर ली जाएगी तथा चुक करने वाले क्रोता को उस राशि अथवा जिसके लिए वह नई उद्योग बिजरी के पक्ष में जबर देने के पक्ष में अधिकारी से वंचित कर दिया जाएगा।					
8. संपत्ति की बिजरी "जैसा है जहां है तथा जो है यही है" आधार पर की जा रही है।					
9. अधोहस्ताक्षरी को यदि अस्वीकार करते हैं तो किसी या सभी बोलीयों को स्वीकार अथवा निरस्त करने या उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।					
सम्पत्ति की अनुसूची					
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राज्यत्व	उस ऋणभागा जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण		
अपार्टमेंट नं. ए-1607, 16वीं मंजिल, मलवरी कार्टेटी, सेक्टर-70, फरीदाबाद, हरियाणा	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात		
मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित 02.04.2026 को दिया गया। हस्ता./- (वासव्य कुमार), वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली					
कार्यालय वसूली अधिकारी-II ऋण वसूली न्यायाधिकरण - II, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिज़डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001					
आर.सी. संख्या 18/2024					
ई-नीलामी बिजरी सूचना					
तार्थि: 02.04.2025					
भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स मयंक रस्तोगी					
आदेश					
मेरे दिनांक 02.04.2026 के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित संपत्ति उक्त वसूली प्रमाण पत्र में 21.05.2026 को सांवजनिक ई-नीलामी बिजरी द्वारा बेची जाएगी:-					
नीलामी बिजरी "ऑनलाइन ई-नीलामी" के रूप में https://bankauction.com वेबसाइट के माध्यम से होगी					
नीलामी की ति					